भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 233
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मछली प्रजातियों को अनूसूची 'क' में शामिल किया जाना

233. श्री टी.एन. प्रथापनः

क्या **मत्स्यपालन**, **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुछ मछली प्रजातियों को अनुसूची 'क' में शामिल करने का निर्णय लिया है**;**
(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं**;**
(ग) क्या सरकार 'चन्ना' मछली प्रजातियों (विशेष मछली प्रजातियां) की विदेशी बाजार में उच्च मांग को देखते हुए इनको अनुसूची 'क' में शामिल करने पर फिर से विचार करेगी**;**और
(घ) क्या इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए कृत्रिम तालाबों और टैंकों में इन प्रजातियों के मछलीपालन की शुरुआत की जा सकती है ताकि प्राकृतिक जल में रहने वाली प्रजातियां प्रभावित न हों**?**

उत्तर

मत्स्यपालन, **पशुपालन और डेयरी मंत्री**

(**श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) से (घ): लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और संरक्षित (ईटीपी) प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित मामले को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा देखा जाता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित मत्स्य प्रजातियों सहित विभिन्न पशु प्रजातियों को अनुसूची-I और अनुसूची-II के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार, उल्लिखित अधिनियम के तहत कोई 'अनुसूची क' नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत व्हेल शार्क (*रिनकोडोंन टाइपस*), शार्क और रेज़, समुद्री घोड़े (सभी *सिग्नेथिडियन*) और जायंट ग्रूपर (*एफिनफेलस लैंसोलेटस*) को अनुसूची I, भाग II में और स्पर्म व्हेल (*फिज़टर मार्कोसेफालस*) को अनुसूची II भाग II में सूचीबद्ध किया गया है। गौर किया गया है कि 'चन्ना' मछली प्रजाति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किसी भी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। मत्स्य प्रजातियों को प्राकृतिक वन से विलुप्त होने से रोकने के लिए, परिरुद्ध प्रजनन कार्यक्रमों (कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम) का विकास, रेनचिंग और जलीय जीवन अभयारण्यों (एकुआटिक लाइफ सेंकचुआरी) की स्थापना कुछ रणनीतियाँ हैं।

****